<u>अध्याय-३</u> उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 निर्णय लेने की प्रक्रिया

निगम के क्रिया कलापों के संचालन में निर्णय की प्रक्रिया, पर्यवेक्षणीय माध्यम तथा उत्तरदायित्व के संबंध में स्थिति यह है कि निगम राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है। अतः निगम के समस्त प्रशासनिक एवं व्यवसायिक क्रिया-कलापों का संचालन उ0प्र0शासन के वित्त विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। निगम का निदेशक मण्डल भी समस्त प्रशासनिक एवं व्यवसायिक प्रकरणों में निर्णय लेते समय उक्त दिशा निर्देशों का यथा सम्भव पालन करता है।

जंहा तक निगम के क्रिया-कलापों के संचालन में निर्णय की प्रक्रिया का प्रश्न है इस संबंध में संपूर्ण विभाग प्रबन्ध निदेशक के अधीन कार्यरत है। निगम मुख्यालय पर निम्न अनुभाग कार्यरत हैं:-

अधिष्ठान अनुभाग

निगम के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनिक कार्य प्रारम्भ किये जाने एवं उस पर विभागीय दण्डादेश पारित किये जाने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित है जो समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं। इस हेतु पत्रावली अधिष्ठान अनुभाग में कार्यरत पटल सहायक के स्तर से प्रारम्भ होकर प्रबन्धक अधिष्ठान के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है और प्रबन्धक अधिष्ठान सहमति की दशा में पत्रावली अपनी संस्तुति सहित महा प्रबन्धक को अग्रसारित करते हैं तदोपरान्त महा प्रबन्धक द्वारा सहमति की दशा में अपनी संस्तुति अंकित की जाती है जिस पर प्रबन्ध निदेशक गुण और दोष के आधार पर संबंधित प्रकरण में निर्णय लेते हैं।

क्रय अनुभाग

इस अनुभाग के अनुभाग अधिकारी उप वाणिज्य प्रबन्धक हैं जिनके अधीन कार्यरत पटल सहायकों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कुकिंग गैस एवं रबी/खरीफ क्रय योजना से संबंधित पत्रावलियां उनके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं और उनकी टिप्पणी के पश्चात् पत्रावली महा प्रबन्धक के पास भेजी जाती हैं तदोपरान्त निर्णय हेतु पत्रावली प्रबन्ध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

लेखा अनुभाग

लेखा अनुभाग वित्त नियंत्रक के अधीन कार्य करता है। अनुभाग के अंतर्गत एक उप वित्त प्रबन्धक भी कार्यरत हैं। अनुभाग में पटल सहायकों द्वारा पत्रावलियां उप वित्त प्रबन्धक के माध्यम से वित्त नियंत्रक को प्रस्तुत की जाती हैं। वित्तीय मामलों में वित्त नियंत्रक को रूपया ५,000 तक के भुगतान की स्वीकृति का अधिकार प्राप्त है। रूपया ५,000 से ऊपर वित्तीय मामलों में पत्रावली प्रबन्ध निदेशक को अग्रसारित की जाती है और उनके स्तर से ही निर्णय लिया जाता है।

विधि/सचिवीय अनुभाग

विधि अनुभाग का कार्य प्रबन्धक विधि के द्वारा देखा जाता है। किसी भी वाद की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये जाने का निर्णय प्रबन्ध निदेशक के स्तर से ही लिया जाता है। मा. न्यायालयों से प्राप्त निर्णय का अनुपालन भी प्रबन्ध निदेशक के स्तर से किया जाता है।

स्टोर अनुभाग

इस अनुभाग के अनुभाग अधिकारी प्रभारी स्टोर हैं। उनके अधीन पटल सहायक एवं चालक कार्यरत हैं। समस्त गाडियों एवं मेन्टीनेन्स आदि के कार्य हेतु पत्रावलियां प्रभारी स्टोर के माध्यम से महा प्रबन्धक महोदय को प्रस्तुत की जाती हैं। वित्तीय मामलों में महा प्रबन्धक को रूपया ५,000 से रूपया ७,000 तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अधिकार प्राप्त है। उक्त धनराशि से ऊपर निर्णय लेने हेतु पत्रावली प्रबन्ध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं जिस पर गुण और दोष के आधार पर वित्तीय परामर्श उपरान्त निर्णय लिया जाता है।